ालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 31/18

सरकार बनाम श्रीः- रामसहाय

S/o प्रभु

नि० बड़ागाँव

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 25/6/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामसहाय पुत्र श्री प्रभु जाति ---------- निवासी बड़ागाँव तहसील महवा ने संवत 20-- फसल रवि / खरीफ मे ग्राम बड़ागाँव की राजकीय आराजी खसरा नं. 123 रकबा 0.45 किस्म ✓ गै० मु. रास्ता भूमि से 0.02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से ✓ गै.मु. निर्माण बाड़ा + मकान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 3.20 पैसे का 50 गुना 160 रु. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार

महवा जिला दौसा